प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/NBCC/18–13– ।।/2013–14/3430-75 दिनांकः 19.10.2013

विषयः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक्रिडेटिड उप केन्द्रों (Level-1 Centers) के प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care Corner) को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

अवगत कराना है कि एस0आर0एस0 सर्वे 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु मृत्युदर 53 प्रति 1000 जीवित जन्म है। कुल शिशु मृत्युदर में से दो तिहाई मृत्यु प्रथम माह में अर्थात नवजात शिशुओं की होती है। यदि प्रदेश की शिशु मृत्युदर में कमी लानी है, तो सर्वप्रथम "नवजात शिशु मृत्युदर" कम करने के सार्थक प्रयास किये जाने होंगे। इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु की देखभाल के लिये समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसके लिये पूर्व में शासनदेश सं0 495/5–9–2010–9(76)/10 दिनांक 01.04.2010 एवं समय समय पर अन्य दिशा निर्देश भेजे गये है। 24 घंटे प्रसव सेवा वाली स्वास्थ्य इकाईयों के प्रसव कक्ष में "न्यूबोर्न केयर कॉनर" की स्थापना एवं क्रियाशीलता अति आवश्यक है। यह भी प्रयास किये जायें कि कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, नवजात शिशु की आकस्मिक जटिलता को शीघ्रता से दूर कर नवजात को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिये प्रशिक्षित एवं दक्ष हों।

वर्ष 2013–14 में वर्तमान शिशु मुत्युदर 53 प्रति 100 जीवित जन्म में कम से कम 5 अंक की गिरावट लाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उन उपकेन्द्रों जहॉ ए0एन0एम0 प्रसव करा रही हों, तथा उपकेन्द्र एक्रिडेटिड **(Level-1 Centers)** हों, के प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care Corner) बनाया जाना अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक है।

1–नवजात शिशु देखभाल स्थान के उद्देश्य निम्नलिखित है–

- नवजात शिशु मृत्युदर में कमी लाना।
- जटिलता की स्थिति में नवजात शिशु को सन्दर्भित करना।

वर्ष 2013–14 में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों (**Level-1 Centers**) के प्रसव कक्ष में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी **Level-1 Centers** के प्रसव केन्द्र में यदि "न्यूबॉन केयर कॉर्नर" नहीं है तो उसे **सुरक्षित प्रसव केन्द्र का दर्जा "लेवल–1" नहीं दिया जाये**।

प्रसव कक्ष में नवजात शिशु की विशेष देखभाल का स्थान होगा जहॉ आवश्यक उपकरण होंगे जिसे न्यूबोर्न केयर कॉर्नर कहा जायेगा।

2–सुविधायेंः–

- नवजात शिशु का ठंड से बचाव (Prevention of Hypothermia)
- नवजात शिशु की श्वांस में गतिरोध से बचाव एवं प्रबन्धन (Management of Asphyxia)
- नवजात शिशु की वज़न के अनुसार देखभाल (Weighing of neonates)
- शीघ्र स्तनपान (Early initiation of Breast feeding)

3–उपकरण एवं व्यवस्थाः–

नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) पर निम्नलिखित कियाशील उपकरण होने चाहिये–

1- Radiant warmer (in those New PHC or accredited Sub Center where appropriate space in labour room and supply of Electicity is there for at least 8 hours a day and staff is trained in handling of equipment) **(Separate instruction for procurement will be issued)**
2- Hand operated resuscitator (Ambu Bag) 500 ml.
3- Weighing Scale - Baby (Pan / Electonic Type)
4- Room Thermometer
5- Digital Thermometer
6- Mobile examination light / Torch
7- Mucus extractor- 5
8- Foot operated suction Pump with suction tubes
9- Towels for drying and wrapping the baby
10- Sterile Gloves
11- Feeding Tubes
12- Oxygen cylinder
13- Cotton wool, Gauze,

उपर्युक्त सभी सामानो की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनटाइड फण्ड से की जाय। जो उपकरण व सामान प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पूर्व से उपलब्ध हों तथा जिनकी आवश्यकता यहॉ न हों उन्हें एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों पर उपलब्ध करा दिये जाये। जनपद में स्वास्थ्य इकाईयों पर **उपकरणों की गुणवत्ता एवं समान मानक के हो जिससे एकरूपता बनी रहें,** इसके विशेष प्रयास किये जायें।

4–प्रोटोकॉल :–

जहॉ नवजात शिशु देखभाल स्थान बनाया जाना है वहॉ पर (2½ फीट x 1½ फीट) दीवार पर "**नवजात शिशु देखभाल स्थान** " (**Newborn Care corner**) पेन्ट द्वारा लिखा जाये।

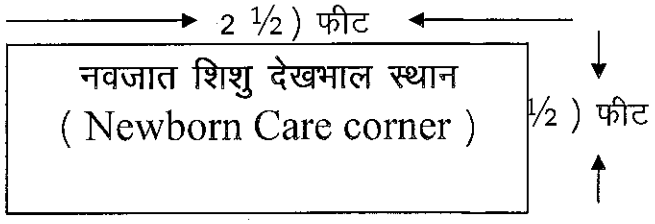

नवजात शिशु की देखभाल एवं उपचार हेतु प्रोटोकॉल तैयार किये जा रहे हैं जिन्हें कॉर्नर वाले स्थान पर दीवार पर लगवाया जाये। उपकरण की सूची तथा उपकेन्द्रों पर उपलब्ध दवाईयों की सूची दीवार पर लगायी जाये, जिसे प्रति दिन जॉच कर अद्यतन रखा जाय।

5–स्टाफ प्रशिक्षणः–

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र पर कार्यरत ए0एन0एम0 एवं स्टाफनर्स (यदि हो) निम्नलिखित प्रशिक्षण में अवश्य प्रशिक्षित हो। यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु राज्य स्तर से सम्पर्क किया जाय।

1–नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का 2 दिवसीय प्रशिक्षण।
2–स्किल बर्थ अटेन्डेन्ट का 21 दिवसीय प्रशिक्षण।

जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिलीवरी हो रही है तथा वे लेबल–1 के केन्द्र हैं, वहॉ के चिकित्सकों को भी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का 2 दिवसीय प्रशिक्षण तथा BEmOC प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

6–वित्तीय व्यवस्थाः–

नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) के लिये आवश्यक उपकरण, कंज्यूमेबिल, औषधि, संक्रमण की रोकथाम के लिये आवश्यक सामग्री आदि उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपलब्ध कराई गयी अनटाइड फण्ड की धनराशि से नियमानुसार क्रय कर व्यवस्था की जाये।

7–उत्तरदायित्व :–

नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित करने, क्रियाशील करने तथा सम्बन्धित स्टाफ को उपरोक्त में प्रशिक्षण दिलाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों हेतु सामुदायिक केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा। Newborn Care corner स्थापित कर फोटाग्राफ सुरक्षित रखें तथा क्रियाशीलता की समीक्षा समय समय पर करते रहें।

8–अनुश्रवण :–

मण्डलीय अपर निदेशक व जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे। सुनिश्चित किया जाये कि नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित एवं क्रियाशील है।

9–आकस्मिकता एवं प्रबन्धन :–

- यदि उपकरण क्रियाशील नहीं है, तो तत्काल उसे ठीक कराया जाये अन्यथा किसी आकस्मिक स्थिति में निकट की स्वास्थ्य इकाई से प्राप्त किया जाये।
- यदि ए0एन0एम0/स्टाफनर्स NSSK प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये राज्य मुख्यालय से सम्पर्क किया जाये।
- यदि किसी नवजात शिशु में गंभीर रोग है तो निकट की स्वास्थ्य इकाई पर सन्दर्भित किया जाये। उसके लिये 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा का लाभ उठाया जाये।
- चिकित्सक/विशेषज्ञों की सेवा हेतु दूरभाष तंत्र विकसित किया जाये। जटिलता की स्थिति में दूरभाष पर सम्पर्क कर आवश्यक कदम उठाये जायें। (आजकल सभी के पास मोबाइल फोन उपलब्ध है।)

10–रिपोर्टस :–

रिकार्ड रखा जाये कि चिकित्सालय/लेविल–1 उपकेन्द्र में कितने प्रसव हुये, कितने नवजात शिशुओं को आकस्मिक एवं गंभीर स्थितियों से बचाया गया। उपरोक्त सुविधा के उपरान्त कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, किन कारणों से नवजात शिशु को नहीं बचाया जा सका। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नवजात का वज़न, कॉलेस्ट्रम दिये जाने सम्बन्धी सूचना (जन्म के कितनी देर बाद दिया गया), केवल स्तनपान सम्बन्धी सूचना, किसी भी जटिलता सम्बन्धी सूचना की कार्यवाही भी की जाये।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0 / CH/NBCC / 18–13– ।। / 2013–14 / दिनांकः .10.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करें तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि स्वास्थ्य केन्द्र पर ए0एन0एम0 की बैठक करें तथा पत्र की प्रति उपलब्ध करा दें तथा प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें। पत्र को पढ़ कर समझायें तथा लेविल–1 के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों पर नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित करायें तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो स्टाफ को प्रशिक्षित करायें।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कम्यूनिटी प्रोसिस मैनेज़र इस निर्देश के साथ कि पत्र की प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से जनपद के समस्त अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध करायें। कितनी स्वास्थ्य इकाईयों पर Newborn Care corner क्रियाशील हो गये हैं का डेटाबेस तैयार कर प्रति माह अपडेट करें एवं प्रगति रिपोर्ट को संकलित करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/NBCC/18–13–II/2013–14/ दिनांकः 19.10.2013

विषयः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक्रिडेटिड उप केन्द्रों (Level-1 Centers) के प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care Corner) को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया

अवगत कराना है कि एस0आर0एस0 सर्वे 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु मृत्युदर 53 प्रति 1000 जीवित जन्म है। कुल शिशु मृत्युदर में से दो तिहाई मृत्यु प्रथम माह में अर्थात नवजात शिशुओं की होती है। यदि प्रदेश की शिशु मृत्युदर में कमी लानी है, तो सर्वप्रथम "नवजात शिशु मृत्युदर" कम करने के सार्थक प्रयास किये जाने होंगे। इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु की देखभाल के लिये समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसके लिये पूर्व में शासनदेश सं0 495/5–9–2010–9(76)/10 दिनांक 01.04.2010 एवं समय समय पर अन्य दिशा निर्देश भेजे गये है। 24 घंटे प्रसव सेवा वाली स्वास्थ्य इकाईयों के प्रसव कक्ष में "न्यूबोर्न केयर कॉनर" की स्थापना एवं क्रियाशीलता अति आवश्यक है। यह भी प्रयास किये जायें कि कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, नवजात शिशु की आकस्मिक जटिलता को शीघ्रता से दूर कर नवजात को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिये प्रशिक्षित एवं दक्ष हों।

वर्ष 2013–14 में वर्तमान शिशु मुत्युदर 53 प्रति 100 जीवित जन्म में कम से कम 5 अंक की गिरावट लाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उन उपकेन्द्रों जहॉ ए0एन0एम0 प्रसव करा रही हों, तथा उपकेन्द्र एक्रिडेटिड (**Level-1 Centers**) हों, के प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care Corner) बनाया जाना अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक है।

1–नवजात शिशु देखभाल स्थान के उद्देश्य निम्नलिखित है–

- नवजात शिशु मृत्युदर में कमी लाना।
- जटिलता की स्थिति में नवजात शिशु को सन्दर्भित करना।

वर्ष 2013–14 में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों (**Level-1 Centers**) के प्रसव कक्ष में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी **Level-1 Centers** के प्रसव केन्द्र में यदि "न्यूर्बोन केयर कॉर्नर" नहीं है तो उसे **सुरक्षित प्रसव केन्द्र का दर्जा "लेवल–1" नहीं दिया जाये**।

प्रसव कक्ष में नवजात शिशु की विशेष देखभाल का स्थान होगा जहॉ आवश्यक उपकरण होंगे जिसे न्यूबोर्न केयर कॉर्नर कहा जायेगा।

2–सुविधायेंः–

- नवजात शिशु का ठंड से बचाव (Prevention of Hypothermia)
- नवजात शिशु की श्वांस में गतिरोध से बचाव एवं प्रबन्धन (Management of Asphyxia)
- नवजात शिशु की वज़न के अनुसार देखभाल (Weighing of neonates)
- शीघ्र स्तनपान (Early initiation of Breast feeding)

3–उपकरण एवं व्यवस्थाः–

नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) पर निम्नलिखित क्रियाशील उपकरण होने चाहिये–

1- Radiant warmer (in those New PHC or accredited Sub Center where appropriate space in labour room and supply of Electicity is there for at least 8 hours a day and staff is trained in handling of equipment) **(Separate instruction for procurement will be issued)**
2- Hand operated resuscitator (Ambu Bag) 500 ml.
3- Weighing Scale - Baby (Pan / Electonic Type)
4- Room Thermometer
5- Digital Thermometer
6- Mobile examination light / Torch
7- Mucus extractor- 5
8- Foot operated suction Pump with suction tubes
9- Towels for drying and wrapping the baby
10- Sterile Gloves
11- Feeding Tubes
12- Oxygen cylinder
13- Cotton wool, Gauze,

उपर्युक्त सभी सामानो की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनटाइड फण्ड से की जाय। जो उपकरण व सामान प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पूर्व से उपलब्ध हों तथा जिनकी आवश्यकता यहॉ न हों उन्हें एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों पर उपलब्ध करा दिये जाये। जनपद में स्वास्थ्य इकाईयों पर **उपकरणों की गुणवत्ता एवं समान मानक के हो जिससे एकरूपता बनी रहें,** इसके विशेष प्रयास किये जायें।

4–प्रोटोकॉल :–

जहॉ नवजात शिशु देखभाल स्थान बनाया जाना है वहॉ पर (2½ फीट x 1½ फीट) दीवार पर "**नवजात शिशु देखभाल स्थान** " (**Newborn Care corner**) पेन्ट द्वारा लिखा जाये।

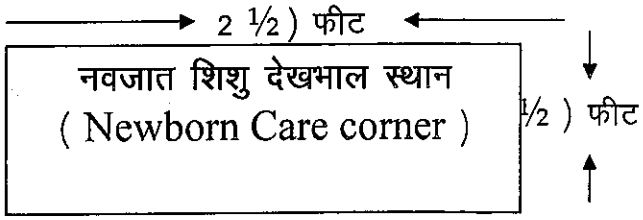

नवजात शिशु की देखभाल एवं उपचार हेतु प्रोटोकॉल तैयार किये जा रहे हैं जिन्हें कॉर्नर वाले स्थान पर दीवार पर लगवाया जाये। उपकरण की सूची तथा उपकेन्द्रों पर उपलब्ध दवाईयों की सूची दीवार पर लगायी जाये, जिसे प्रति दिन जॉच कर अद्यतन रखा जाय।

5–स्टाफ प्रशिक्षणः–

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्र पर कार्यरत ए0एन0एम0 एवं स्टाफनर्स (यदि हो) निम्नलिखित प्रशिक्षण में अवश्य प्रशिक्षित हो। यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु राज्य स्तर से सम्पर्क किया जाय।

1–नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का 2 दिवसीय प्रशिक्षण।
2–स्किल बर्थ अटेन्डेन्ट का 21 दिवसीय प्रशिक्षण।

जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डिलीवरी हो रही है तथा वे लेबल–1 के केन्द्र हैं, वहॉ के चिकित्सकों को भी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (NSSK) का 2 दिवसीय प्रशिक्षण तथा BEmOC प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

6–वित्तीय व्यवस्थाः–

नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) के लिये आवश्यक उपकरण, कंज्यूमेबिल, औषधि, संक्रमण की रोकथाम के लिये आवश्यक सामग्री आदि उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपलब्ध कराई गयी अनटाइड फण्ड की धनराशि से नियमानुसार क्रय कर व्यवस्था की जाये।

7–उत्तरदायित्व :–

नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित करने, कियाशील करने तथा सम्बन्धित स्टाफ को उपरोक्त में प्रशिक्षण दिलाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों हेतु सामुदायिक केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा। Newborn Care corner स्थापित कर फोटाग्राफ सुरक्षित रखें तथा क्रियाशीलता की समीक्षा समय समय पर करते रहें।

8–अनुश्रवण :–

मण्डलीय अपर निदेशक व जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक उक्त के सम्बन्ध में उत्तरदायी होंगे। सुनिश्चित किया जाये कि नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित एवं कियाशील है।

9–आकस्मिकता एवं प्रबन्धन :–

- यदि उपकरण कियाशील नहीं है, तो तत्काल उसे ठीक कराया जाये अन्यथा किसी आकस्मिक स्थिति में निकट की स्वास्थ्य इकाई से प्राप्त किया जाये।
- यदि ए0एन0एम0/स्टाफनर्स NSSK प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये राज्य मुख्यालय से सम्पर्क किया जाये।
- यदि किसी नवजात शिशु में गंभीर रोग है तो निकट की स्वास्थ्य इकाई पर सन्दर्भित किया जाये। उसके लिये 108 समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा का लाभ उठाया जाये।
- चिकित्सक/विशेषज्ञों की सेवा हेतु दूरभाष तंत्र विकसित किया जाये। जटिलता की स्थिति में दूरभाष पर सर्म्पक कर आवश्यक कदम उठाये जायें। (आजकल सभी के पास मोबाइल फोन उपलब्ध है।)

10–रिपोर्टस :–

रिकार्ड रखा जाये कि चिकित्सालय/लेविल–1 उपकेन्द्र में कितने प्रसव हुये, कितने नवजात शिशुओं को आकस्मिक एवं गंभीर स्थितियों से बचाया गया। उपरोक्त सुविधा के उपरान्त कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, किन कारणों से नवजात शिशु को नहीं बचाया जा सका। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नवजात का वज़न, कॉलेस्ट्रम दिये जाने सम्बन्धी सूचना (जन्म के कितनी देर बाद दिया गया), केवल स्तनपान सम्बन्धी सूचना, किसी भी जटिलता सम्बन्धी सूचना की कार्यवाही भी की जाये।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

3430-75-7

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/CH/NBCC/18–13–11/2013–14/ दिनांकः 19.10.2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें ।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्त के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करें तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि स्वास्थ्य केन्द्र पर ए0एन0एम0 की बैठक करें तथा पत्र की प्रति उपलब्ध करा दें तथा प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें। पत्र को पढ़ कर समझायें तथा लेविल–1 के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक्रिडेटिड उपकेन्द्रों पर नवजात शिशु देखभाल स्थान (Newborn Care corner) स्थापित करायें तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो स्टाफ को प्रशिक्षित करायें।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कम्यूनिटी प्रोसिस मैनेज़र इस निर्देश के साथ कि पत्र की प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से जनपद के समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध करायें। कितनी स्वास्थ्य इकाईयों पर Newborn Care corner क्रियाशील हो गये हैं का डेटाबेस तैयार कर प्रति माह अपडेट करें एवं प्रगति रिपोर्ट को संकलित करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक